



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक: प.5(04) कार्मिक/क-1/2005-04383

जयपुर, दिनांक: हस्ताक्षर दिनांक

आज्ञा

प्रदेश में गर्मी के तापमान एवं लू-तापघात का प्रकोप एवं अगामी दिनों तक गर्मी की विषम परिस्थितियों को देखते हुए समस्त संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखंड अधिकारियों के अवकाश एवं मुख्यालय परित्याग की अनुमति को अग्रिम आदेशों तक निरस्त किया जाता है।

सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग की अनुमति के उपरांत विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश हेतु प्रस्थान करें।

समस्त जिला कलक्टर अपने अधीनस्थ उपखंड अधिकारियों को भी उपरोक्तानुसार पाबंद करें।

सभी अधिकारी उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कनिष्क कटारिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/उपखंड अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7386393

Document certified by KANISHAK
KATARIA <kanishak.kataria@ias.gov.in>.

Digitally Signed by Kanishak
Kataria संयुक्त शासन सचिव
Designation : Joint Secretary To
Government
Date :21-05-2024 11:03:02